rojgar with ankit

RPF POLITY

मैग्नाकार्टा → मौलिक अधिकार
Fundamental Rights

सबसे पहले ये अधिकार ब्रिटेन के नागरिकों को दिये।

⇒ अमेरिका विश्व का पहला संविधान बना जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों (Bill of Rights) को रखा।

⇒ मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या ⇒ 7
No. of fundmental Rights in original Constitution

→ वर्तमान (In Present) ⇒ 6

अनुच्छेद - 12 → राज्य (State)

→ शब्द को परिभाषित किया गया है।
The term is defined.

राज्य का अर्थ उन सभी संस्थाओं, निकायों या व्यक्तियों से जिन्हें कानून बनाने या लागू, आदेश (Order) जारी करने या अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार होता है।

अनुच्छेद - 12 के अनुसार 'राज्य' शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं- Acording to Article 12 the term 'State' includes the following-

(i) भारत की सरकार एवं संसद Government of India and parliament
(ii) राज्यों की सरकारें एवं विधानमण्डल State governments and legislatures
(iii) सभी स्थानीय प्राधिकारी, एवं All local authorities, and ex. पंचायत, नगरपालिका
(v) अन्य प्राधिकारी। Other Authorities
Oil and Natural Gas Corporation — ONGC, OBSE Board, U.P. board, C.C.S University

अनुच्छेद-13

इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है Under this, the Court can declare any law void which is inconsistent with the fundamental rights. This power of the Court is called the power of judicial review.

"न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अन्तर्गत वह विधानमण्डल द्वारा पारित या संसद अधिनियमों की संवैधानिकता की जाँच करते हैं।"
The power of Judicial review is the power of the Courts to examine the Constitutionality of acts passed by the legislature.

Article 13. ⇒ मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच (Safe Guard)

कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद का हो, अगर वह कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो ऐसे कानून की न्यायपालिका (judiciary) (Supreme / High Court उच्चतम या उच्च न्यायालय) जांच करती है और उसे शून्य घोषित करती है उसकी यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial Review) कहलाती है।

→ संसद / विधानमंडल
Parliament / Legislature

→ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। (Taken from USA)

भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था; किन्तु 44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सम्पति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। The Original Constitution of India provided a total of 7 fundamental rights to its Citizens; but the fundamental right to property was abolished by the 44th Constitutional Amendment Act in 1978.

Art. 31
Art. 19 (1) (f) (च)
7 - 1 ⇒ (6)

संपत्ति का अधिकार ⇒ Right of Property

इसे 44 वें संविधान 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया।

↳ वर्तमान में यह एक वैधानिक अधिकार (Legal Right) है जिसे Art. 300 (A) में रखा गया है।

rojgar with ankit

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ⇒ S. Court | High Court
Voilation of F.R. ⇓ ⇓
Art. 32 Art. 226

वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है। जो अधोलिखित हैं। यथा-
At present, Indian Citizens have a total of 6 fundamental rights. These are as follows As-

[1.] समानता का अधिकार Right to equality (अनुच्छेद 14-18)
[2.] स्वतन्त्रता का अधिकार Right to freedom (अनुच्छेद 19-22)
[3.] शोषण के विरुद्ध का अधिकार Right against exploitation (अनु. 23-24)
[4] धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार Right to religious freedom (अनु. 25-28)
[5.] संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी Cultural and educational rights (अनु. 29-30)
[6] संवैधानिक उपचारों का अधिकार Right to Constitutional Remedies (अनु. 32)

विधि के समक्ष समता (Equality before Law)

अनुच्छेद-14 के अनुसार "राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

rojgar with ankit

According to Article 14. "The State shall not deny to any person equality before the law and the equal protection of the laws within the territory of India."

USA — ब्रिटेन

(A) . (B) . (C)

अपवाद ⇒ राष्ट्रपति
exception ⇒ राज्यपाल
⇒ MP's MLA's

अनुच्छेद -15 (1) – केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है।

Prohibits the State from discriminating between Citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

→ केवल भारतीय नागरिकों के लिए
Only for Indian Citizen's (5) Ground's

Art. 15 (2) ⇒ सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते Public Place

rojgar with ankit

अनुच्छेद 15 (2) – के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबन्ध के अधीन नहीं होगा। यथा-

Article 15 (2) - No Citizen shall. on grounds only of religion, race, caste, sex. place of birth or any of them, be subject to any Condition or restriction in regard to entry into or use of the following:

(i) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, तथा Shops, public restaurants hotels, places of Public entertainment, and

(ii) राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित - कुओं, तालाबों, स्नानाघाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि। Maintained from state funds or dedicated for public use- wells, ponds, bathing ghats, roads or public gathering places etc.